



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08092025-266007
CG-MH-E-08092025-266007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]
No. 614]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/262.—बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 54 एवं धारा 62 तथा कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 8 एवं नियम 12 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क एवं धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 में,-
 - I. मौजूदा विनियम 9 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“9क. वह कर्मचारी, जिसे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) में संप्रवर्तक (प्रोमोटर) बताया गया हो या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का हिस्सा बताया गया हो

वह कर्मचारी, जिसे किसी कंपनी द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) के संबंध में बोर्ड के पास दाखिल किए गए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में “संप्रवर्तक (प्रोमोटर)” बताया गया हो या “संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप)” का हिस्सा बताया गया हो, और जिसे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दाखिल किए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले किसी स्कीम के तहत ऑप्शन्स (विकल्प), एसएआर या कोई अन्य फायदा दिया गया हो, वह उन ऑप्शन्स, एसएआर या किसी अन्य फायदे को उनसे संबंधित शर्तों आदि के अनुसार अपने पास रख (होल्ड कर) सकेगा और/या उनका प्रयोग (उन्हें एक्सरसाइज़) कर सकेगा, बशर्ते कि उसे इन विनियमों और दूसरे लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./347/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/40, द्वारा 13 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(SHARE BASED EMPLOYEE BENEFITS AND SWEAT EQUITY) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/262.—In exercise of the powers conferred by sections 11, 11A and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with sections 54 and 62 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules 8 and 12 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021, –

- I. After the existing regulation 9, the following new regulation shall be inserted, namely,-

“9A. Employee identified as promoter or part of the promoter group in the draft offer document.

An employee who is identified as a “promoter” or part of the “promoter group” in the draft offer document filed by a company with the Board in relation to an initial public offering, and who was granted options, SAR or any other benefit under any scheme at least one year prior to filing of the draft offer document, shall be eligible to continue to hold and/or exercise such options, SAR or any other benefit, in accordance with its terms and subject to compliance with these regulations and other applicable laws.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./347/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 13th August, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/40.